सर्वोच्च प्राथमिकता
सं0 915 / 28–1–2002

प्रेषक,

लव वर्मा
सदस्य सचिव
राज्य परामर्शीय समिति
एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तरांचल समन्वय अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 15 जुलाई, 2002

विषयः– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अन्तर्गत राज्य सेवा संवर्गों का विभाजन एवं कार्मिकों का उत्तरांचल हेतु अन्तिम आवंटन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–76 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति का गठन उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के मध्य पदों के विभाजन तथा कार्मिकों के अन्तिम आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस समिति की तृतीय बैठक दिनांक 02–07–2002 को नैनीताल में सम्पन्न हुई। इस बैठक में पदों के आवंटन एवं कार्मिको के अन्तिम आवंटन हेतु सिद्धान्त, प्रकिया एवं व्यवस्था को अन्तिम रूप प्रदान किया गया। समिति की उपर्युक्त बैठक का कार्यवृत्त पत्र संख्या–884 / 28–1–2002 दिनांक 09 जुलाई, 2002 को समस्त प्रमुख सचिवों / सचिवों को प्रेषित किया जा चुका है।

2. राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अन्तिम किए गए सिद्धान्तों के अनुरूप तात्कालिक प्रभाव से दोनों राज्यों के मध्य पदों एवं कार्मिकों के अन्तिम आवंटन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था, एवं प्रकिया स्थापित की गई है, जिसका अनुपालन सभी विभागों द्वारा समयबद्धता एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगाः–

(अ) पदों का विभाजनः–

उत्तरांचल राज्य हेतु कार्मिकों के अन्तिम आवंटन से पूर्व प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक वेतनमान में नियत तिथि अर्थात दिनांक 08–11–2000 को स्वीकृत पदों की सूचना उपलब्ध कराई जानी हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में पदों की सूचना प्राप्त करने हेतु शासनादेश सं0 166 / 28–1–2001 दिनांक 14 मार्च, 2001 एवं शासनादेश सं0 1535 / 28–1–2001 दिनांक 24–09–2001 में क्रमशः प्रपत्र पी–1,पी–2,पी–3 एवं पी–4. के अलावा शासनादेश सं0 848 / 28–1–2002 दिनांक 26–06–2002 में प्रपत्र 'ए' व 'बी' निर्धारित किए गए हैं। उपर्युक्त प्रपत्रों में निर्धारित सूचना अभी भी समस्त विभागों से प्राप्त नहीं हुई हैं। जिन विभागों ने इन प्रपत्रों में सूचना उपलब्ध न कराई हो वे उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(ब) राज्य सेवा संवर्गों के कार्मिकों का उत्तरांचल राज्य आवंटन हेतु मापदण्ड एवं प्रकियाः–

(1) सर्वप्रथम संवर्गवार पदों की संख्या के विरूद्ध विकल्पधारियों को उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाए। (विकल्प से तात्पर्य कार्मिक द्वारा दिनांक 15–06–2001 तक दिए गए प्रथम विकल्प से है, जिसमें परिवर्तन मान्य नहीं है।)

(2) यदि रिक्ति विद्यमान रहती है तो उसे भरने के लिए उत्तरांचल के मूल निवासियों (Domicile) को आवंटित किया जाए। उत्तरांचल के मूल निवासी से तात्पर्य ऐसे कार्मिक से है, जिसके सेवा अभिलेखों में दिनांक 01–04–2000 की स्थिति के अनुसार गृह जनपद उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में से कोई एक जनपद घोषित है।

(3) यदि फिर भी रिक्ति विद्यमान रहती है तो उस पर सम्बन्धित संवर्ग में समान वेतनमान में नियत तिथि को कार्यरत कनिष्ठतम कार्मिकों को आवंटित किया जाए।

(4) भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में केवल ऊपर मद (3) में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही किसी संवर्ग के प्रत्येक बैच की कुल संख्या के समानुपात (pro-rata) में कनिष्ठतम कार्मिकों को यथा सम्भव आवंटित किया जाए।

(5) पति/पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने की दशा में ज्येष्ठ सरकारी सेवक के विकल्प के अनुसार राज्य आवंटित किया जाएगा। ज्येष्ठ से तात्पर्य ज्येष्ठ वेतनमान में कार्यरत सरकारी सेवक से है। परन्तु भारत सरकार के आदेश दिनांक 11–09–2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों यथा–पति/पत्नी के पत्नी/पति को केवल उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जायेगा, उत्तर प्रदेश नहीं।

(6) महिला कर्मियों को केवल उनके विकल्प के अनुसार आवंटित किया जाएगा किन्तु यदि उनके पति ऊपर मद–(2) या (3) से आच्छादित होते हैं तो उन्हें केवल उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जा जायेगा, उत्तर प्रदेश नहीं।

(7) नियत तिथि से जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम अवधि अवशेष रह गई, उन्हें केवल उनके विकल्प के अनुसार उत्तरांचल राज्य आवंटित किया जाएगा।

(8) विकलांग कार्मिकों को केवल उनके विकल्प के आधार पर ही राज्यों को आवंटित किया जाएगा, यदि वे भारत सरकार के आदेश दिनांक 11–09–2001 से आच्छादित नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/का–1/13(12)/2000 दिनांक 06–11–2000 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। यदि सम्वर्ग में अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित पद के विरूद्ध कोई कार्मिक कार्यरत नही है तो उस रिक्ति(Vacancy)को उत्तरांचल राज्य को दी जायेगी। यदि किसी वर्ष के बैच (batch) में सीधी भर्ती एवं विभागीय कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता (Interse Seniority) का निर्धारण नही हुआ है। अर्थात बैच में ऊपर अथवा नीचे विभागीय अथवा सीधी भर्ती के कार्मिकों को रखा गया है तो ऐसी स्थिति में एक बैच को दो बैचों में विभक्त (Split) कर कार्मिकों का आवंटन किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर–2(ब) (3) व (4) के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा कनिष्ठतम कार्मिकों के आवंटन एवं आरक्षण नीति निर्धारित करने में कठिनाई अनुभव की जा सकती है, जिसके समाधान हेतु उदाहरण संलग्नक–1 में दिए गए हैं। यदि फिर भी किसी विभाग को कोई शंका/कठिनाई हो तो वे सचिव अथवा संयुक्त सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग से सम्पर्क कर उसका निराकरण कर सकते हैं।

4. संवर्गवार उत्तरांचल हेतु पदों के अन्तिम विभाजन के तत्काल पश्चात् उत्तरांचल आवंटित होने वाले कार्मिकों की सूची प्रपत्र पी–5 (संलग्नक–2) में दी जाएगी। इस प्रपत्र में सूचना तैयार रखी जाए ताकि विभाग को अल्प सूचना पर वह उपलब्ध हो सके।

5. अन्य प्रकरण:–

यदि उपर्युक्त नीति को लागू किए जाने में किसी विभाग या कार्मिक के समक्ष genuine and hardship cases से सम्बन्धित समस्याएं आती है तो वे प्रत्यावेदन साक्ष्यों सहित, राज्य परामर्शीय समिति को उसके निस्तारण/निर्णयार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. सभी विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(लव वर्मा)
सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शीय समिति/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 915 /28–1–2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. श्री आर.के. चन्द्रा, अपर सचिव, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, तीसरी मंजिल, खान मार्केट, नई दिल्ली।
4. श्री आर.आर. प्रसाद, निदेशक (एस.आर.), कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार। लोक नायक भवन, खान मार्केट, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली।
5. सचिव, पुनर्गठन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(लव वर्मा)
सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शीय समिति/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या:-915 /28–1–2002 दिनांक 15 जुलाई, 2002 का संलग्नक:–1

कतिपय विभागों में उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर –2(ब)(3) तथा (4) में कनिष्ठतम कार्मिकों के आवंटन एवं आरक्षण निर्धारित किए जाने में कठिनाई अनुभव की जा सकती है, जिसका समाधान निम्नलिखित उदाहरणो से किया जा सकता है:–

उदाहरण–1 यदि किसी संवर्ग के वर्ष 1995 बैच में 100, वर्ष 1996 के बैच में 200, वर्ष 1997 के बैच में 300 और वर्ष 1998 के बैच में 400 कार्मिक हैं और उनमें से 100 कार्मिकों को उत्तरांचल आवंटन किया जाना है तो Strength of batch का समानुपात (Pro-rata) बैचवार कार्मिकों की संख्या का समानुपात= 100: 200: 300: 400

= 1: 2: 3: 4

आरक्षण के अनुसार रिक्तियों का विभाजन=सामान्य–50, अन्य पिछड़ा वर्ग–27, अनुसूचित जाति–21, अनुसूचित जनजाति–2

बैचों का समानुपातिक योग= 1+2+3+4=10

कार्मिकों का आवंटन बैचों के अनुसार

बैच	सामान्य सीटे = 50	अन्य पिछड़ी जाति=27	अनुसूचित जाति = 21
1995-	1995- 1/10X50= 5	1/10X27= 2.7 = 3	1/10X21= 2.1 = 2
1996-	1996- 2/10X50= 10	2/10X27= 5.4 = 5	2/10X21= 4.2 = 4
1997-	1997- 3/10X50= 15	3/10X27= 8.1 = 8	3/10X21= 6.3 = 6
1998-	1998- 4 /10X50= 20	4 /10X27= 10.8 = 11	4 /10X21= 8.4 = 8 +1
	योग:– **5+10+15+20= 50**	योग:– **3+5+8+11 = 27**	योग:–2+4+6+9= 21

उदाहरण–2

यदि बैचों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, 1995–370, 1996–290, 1997–490, 1998 में 190 और रिक्तियां 70 है तो

समानुपात = 370:290:490:190

= 37 : 29 : 49 : 19

= 1.94 : 1.52 : 2.57 : 1

= 2 : 2: 3: 1 अनुपातिक योग = 2+2+3+1=8

सामान्य सीटे = 35	अन्य पिछड़ी जाति= 18.9 =19	अनुसूचित जाति =14.7=15 अनु0जनजाति 1.4 = 1
1995- 2/8X35= 70/8=8.75= 9	2/8X19= 38/8=4.75= 5	2/8X15= 30/8=3.75= 4
1996- 2/8X35= 70/8=8.75= 9	2/8X19= 38/8=4.75= 5	2/8X15= 30/8=3.75= 4
1997- 3/8X35= 105/8=13.12= 13	3/8X19= 57/8=7.12= 7	3/8X15= 45/8=5.625= 6
1998- 1/8X35= 35/8=4.37= 4	1/8X19= 19/8=2.37= 2	1/8X15= 15/8=1.875= 2
योग:– **9+9+13+4= 35**	योग:– **5+5+7+2 = 19**	योग:– **4+4+6+2 = 16- 1= 15**

NOTE:- Round figure होने के कारण यदि किसी category में रिक्ति 1 कम पड़ रही है तो उसे Round figure होने के कारण सबसे बड़े बैच की संख्या में समायेजित किया जायेगा। इसीप्रकार जिस category में रिक्ति बढ़ जाएगी उसे उसी category से कम कर दिया जाएगा। जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों में दर्शाया गया है।

उदाहरण–3

3- यदि बैच अधिक है और कार्मिकों की संख्या कम है। जैसे बैच –4 हैं और 3 कार्मिकों को आवंटित किया जाना है।

वर्ष	बैंच के कुल कार्मिकों की संख्या
1972	37
1973	29
1974	13
1975	03

चूंकि Pro- rata के आधार से गणना करने पर वर्ष 1975 के बैच की आवंटित किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या शून्य आती है, जो नीति एवं शासनादेश के विपरीत है। अतः इन तीन पदों/कार्मिकों को निम्नानुसार आवंटित किया जायें

वर्ष	बैंच के कुल कार्मिकों की संख्या	कार्मिकों का आवंटन
1972	37	0
1973	29	1 सामान्य
1974	13	1 अन्य पिछड़ा वर्ग
1975	03	1 अनुसूचित जाति

(लव वर्मा)
सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शीय समिति/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्याः- 915 /28–1–2002 दिनांक 15 जुलाई, 2002 का संलग्नकः–2

P-5

Name of Department:-
Name of Cadre :-

Sl.No.	Name of Employee	Designation	Pay-Scale	Optee	Domicile	Juniormost
1	2	3	4	5	6	7